While Palekar's award has been implemented by other Tamil Dailies in Tamil Nadu, *Makkal Kural*, has completely denied the rights of the workers. Further, the Management had indulged in violation of the Customs Act by giving false declaration with regard to import of printing machine from U.S.A.

The Management has totally rejected conciliation with workers. I, therefore, request the Minister for labour to interfere in this matter to lift the lockout and to resume the Madurai edition without any victimisation and save the workers from starvation.

(vi) Increase in number of dacoities, murders and lootings in Saidpur (U.P.)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : सभापति महोदय, मैं आप के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान पूर्वी उत्तर प्रदेश के संसदीय क्षेत्र सैदपुर की अत्यन्त विषम स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश के सैदपुर क्षेत्र में डकैती, हत्यायें, फर्जी मुठभेड़, लूट-पाट की इतनी घटनायें हो रही हैं कि यह अब दूसरा चम्बल बनने जा रहा है । यहां पिछड़े तथा कमजोर वर्गों की कथित हत्यायें हो रही हैं । गत 3 माह में लगभग 20 यादव गोली से उड़ा दिए गए ।

मान्यवर, मैं अत्यन्त विनम्र शब्दों में माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान इधर ले जाते हुए कहूंगा कि सैदपुर तीन जिलों, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, को मिला कर बना एक संसदीय क्षेत्र है । यहां के रहने वाले 80 प्रतिशत हरिजन कमजोर एवं पिछड़े वर्ग के हैं । आज यहां का हर आदमी भयभीत है, आतंकित है । उसका सड़क पर चलना दूभर हो गया है । शाम की चिराग जलते ही लोग अपने घरों में घुस जाते हैं । हत्यारे और डकैत गोल बना कर खुले-आम घूमते हैं ।

अन्य प्रान्तों, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं मध्य प्रदेश, के भी शातिर अपराधी यहां भारी संख्या में अपना अड्डा बना रहे हैं । अन्य प्रान्तों से तस्करी करने वाले गिरोह भी यहां अफीम आदि का क्षेत्र होने की वजह से अपना जाल बढ़ाते चले जा रहे हैं ।

माननीय गृह मंत्री जी तुरन्त इस मामले की गंभीरता को महसूस करें । इसे रोकने की दिशा में कठोर कार्यवाही करने की व्यवस्था करें एवं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को हिदायत दें कि वे इस सैदपुर को दूसरा चम्बल होने से अविलम्ब रोकें ।

(vii) Need to include Desi varieties of tobacco also under the provisions of Tobacco Board Act.

श्री मोतीभाई आर० चौधरी (मेहसाना) : सभापति महोदय, देश में कई प्रकार की तम्बाकू पैदा की जाती है, लेकिन तम्बाकू बोर्ड एक्ट में सभी प्रकार की तम्बाकू को शामिल नहीं किया गया है । सिर्फ वरजीनिया तम्बाकू का ही कार्यभार यह बोर्ड चलाता है । देसी बीड़ी तम्बाकू, रोर्स्टीका और नाटु आदि प्रकार की तम्बाकू पकाने वाले किसानों को इसका फायदा नहीं मिलता है । उन्हें तो प्राइवेट व्यापारियों, दलालों के हाथ ही मरना होता है, क्योंकि इसको कोई दूसरा खरीदने वाला नहीं है । इस कारण व्यापारियों के संगठन द्वारा बहुत कम कीमत पर यह तम्बाकू खरीदी जाती है और इन के पैसे भी सालों बाद मिलते हैं और इन लोगों के साथ कई प्रकार की धोखाधड़ी की जाती हैं । इन किसानों का इस तरह जो शोषण हो रहा है, उन्हें इससे बचाने के लिये वाणिज्य और कृषि मंत्रियों से मेरा अनुरोध है कि वरजीनिया से अलग प्रकार की जो तम्बाकू देश में पैदा होती है, उन सब का तम्बाकू बोर्ड एक्ट में समावेश किया जाए । इस बारे में सरकार ने भी कृषि मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, श्री मुखर्जी, की अध्यक्षता में टोबेको एक्सपर्ट ग्रुप की रचना की थी । उस ग्रुप ने भी ऐसी